सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

महेन्द्र कुमार गुप्ता
MAHENDRA KUMAR GUPTA
संयुक्त सचिव
Joint Secretary

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001

D. O. No. 13030/33/2024-S and P- CSIR HQ (E-147537)
Dated: 4th नवम्बर , 2024

प्रिय निदेशक / प्रमुख,

स्वच्छता सिर्फ एक रोचक नारा नहीं है बल्कि जीवन की आवश्यकता है। इसे कुछ विशेष दिनों या महीनों में प्रतीकात्मक रूप में उत्सव या समारोह जैसा मनाने की बजाय जीवनयापन के एक ढंग की तरह अंगीकार करना चाहिए। स्वच्छता को अपनी प्रकृति अपने स्वभाव में हमेशा के लिए अन्तर्निहित करना चाहिए जिससे हमारे दैनिक व्यवहार में इसकी झलक मिल सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष स्वच्छता अभियान की थीम चार 'एस' अर्थात 'स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता' रखा है।

'स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता' के इस उद्देश्य को उसकी सच्ची भावनाओं के साथ प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हमें वर्तमान में चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 के साथ ही साथ कुछ मूर्त गतिविधियों का कार्यक्रम आरम्भ करना होगा, जिसके लिए कुछ विशिष्ट सुझाव निम्नवत हैं:

1. सरलता ही स्वच्छता (Being Simple is Being Clean) :

सिर्फ गंदगी साफ़ करना ही स्वच्छता नहीं है बल्कि कार्यालयी व्यवहार में सरल होना, सुगम होना और सहज होना भी स्वच्छता है। अभी हाल में ही मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सरकारी कार्यालयों की वर्तमान पद्धतियों (work processes), अनावश्यक एवं अतार्किक निर्देशों के अनुपालन (mindless compliances) और अतिरिक्त विनियमन (over regulations) की जटिलताओं को ख़त्म किया जाना चाहिए।

तो आइये बदलें पुराने रास्ते : केवल परम्परा (tradition) के नाम पर या पूर्वता (precedence) को ध्यान में रखकर किये जाने वाले अतार्किक अनुपालनों (mindless compliances) को बिना सोचे विचारे अनुसरण न करके नए और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उदाहरण स्वरूप :

- नियमों द्वारा निर्धारित पात्रता (entitlement) के आधार पर दिए जाने वाली सुविधाओं/वस्तुओं हेतु सक्षमाधिकारी का अनुमोदन उदाहरणार्थ लैपटॉप retention के मामले।
- नियमों या मैन्युअल में निर्धारित मानदंडों पर लिए गए निर्णयों पर पुनः अनुमोदन उदाहरणार्थ वित्तीय सीमा के आधार पर निविदा की प्रकृति का निर्धारण।

चलें BPR (business process re-engineering) की ओर: जैसा कहा गया है कि सरलता ही स्वच्छता है, हम अपने कार्यालयी कार्यों में, कार्यालयी व्यवहार में इस सन्देश को आत्मसात

4/11/24

Tel. : 91-11-23716582, 23351745, E-mail : jsa@csir.res.in

कर अपनी प्रक्रियाओं का पुनराभियंत्रण कर सकते हैं. इस सन्दर्भ में प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे निम्न बिन्दुओं पर **कम से कम 1 (एक) सुझाव** अवश्य दें (नीचे दिए गए प्रारूप में) :

क. व्यर्थ हो चुकी प्रक्रियाओं / दिशा निर्देशों को कम करना /हटाना

ख. निर्णय करने की प्रक्रियाओं का प्रत्यायोजन (delegation) / अ-स्तरीकरण करना (delayering)

क्र. सं.	वर्तमान कार्यपद्धति/ निर्देश/ विनियमन	पुनरीक्षण के कारण	प्रस्तावित प्रक्रिया/ निर्देश/ विनियमन

2. संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता:

स्वच्छता की बात तब सामने आती है जब हमारा परिवेश अस्वच्छ हो। अस्वच्छता या गन्दगी ही न होने दिया जाए इससे बढ़कर स्वच्छता की कोई और प्रेरणा नहीं हो सकती। चार 'एस' का एक अन्तर्निहित उद्देश्य यह भी है जिससे सरकारी कर्मचारी आमूल चूल बदलाव लाकर कार्यालय के माहौल को बदल सकता है.

व्यवहार में स्वच्छता : कार्यालयों में सदियों से चली आ रही यांत्रिक और पदानुक्रम संचार व्यवस्था के स्थान पर अंतर-वैयक्तिक व्यवहारों को सहज करके, अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक होकर और कार्यालयी कार्यों में भी सहयोग और सहकार्यता को बढ़ावा देकर सरकारी कार्यालयों के उक्त मिथक को तोड़ सकते हैं।

विचार में स्वच्छता : कार्यालय को पराया या अदृश्य सरकार का स्थान न मानकर अपने कार्य स्थल / पूजा स्थल की तरह देखें और उसे बनावटी, असंवेदनशील, शोषक की तरह न प्रस्तुत होने दें बल्कि सामान्य नागरिक के मन में उसके प्रति दृष्टिकोण बदले हमें ऐसा विचार रखना चाहिए। इसके लिए निम्न बिन्दु सहायक हो सकते हैं:

- कार्यालय के पूरे वातावरण के प्रति संवेदनशीलता जैसे 'एक पेड़ माँ के नाम'
- बिजली की बचत अर्थात अनावश्यक उपकरणों/मशीनों/उपस्करों को बन्द रखना
- कागज़ की बचत (अत्यंत आवश्यक हो तभी प्रिंट करना) करना
- एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक का प्रयोग बिलकुल ना करना
- कार्यालय में प्लास्टिक और यूज एंड थ्रो वाली वस्तुओं का प्रयोग न करना
- ई-कचरा एवं बैटरियों का नियम पूर्वक निस्तारण करना
- अनावश्यक पैकिंग, दिखावटी वस्तुओं से परहेज करना
- कार्यालय में रोज फूल तोड़कर लगाने और फेंकने की बजाय छोटे/आकर्षक पौधे रखना

3. चक्रीय अर्थव्यवस्था की संप्राप्ति (Circular Economy as a Goal) :

परिवेश स्वच्छता : अपने कार्यालयी व्यवहार में भी हमें इस बात को हमेशा ख्याल में रखने की जरूरत है कि कोई भी संसाधन अनंत नहीं है बल्कि उसकी एक बड़ी कीमत पूरा मानव समुदाय चुकाता है। इसलिए सिर्फ बनाओ, खरीदो और उपयोग करो का दुश्चक्र पूरी मानवता को भयानक संकट की ओर उन्मुख करेगा इसकी बजाय जरूरतों को कम करने, पुनः उपयोग करने और वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने (Reduce– Reuse– Recycle) की रणनीति अपनानी होगी।

4/11/24

उपरोक्त तीन 'आर' चक्र के लिए यह भी जरुरी है कि जो वस्तुएं आवश्यक ना हों या जिन्होंने अपना जीवन काल (life cycle) पूरा कर लिया हो उनका समय पर निपटान (disposal) कर दिया जाए। निपटान से एक ओर जहाँ पुनर्चक्रण में सहायता मिलेगी वहीँ हमारा परिवेश स्वच्छ होगा और हमें काम करने के लिए अधिक और बेहतर स्थान मिल सकेगा।

उपरोक्त बिन्दु को ध्यान में रखते हुए सभी प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि पुराने एवं कबाड़ हो चुके भण्डारों के निपटान को एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाते हुए इस वित्तीय वर्ष में भण्डारों के निपटान (Disposal of Stores) पर निम्न प्रविष्टियों में जानकारी भेजें :

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित निपटान	निपटान किए गए भण्डारों का बुक मूल्य (Total Book Value of Disposed Stores)	निपटान से प्राप्त राजस्व (Revenue Generated by Disposal)

उक्त बिन्दुओं को विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 का अंग मानते हुए सम्बंधित अधिकारीगणों को समुचित निर्देश देकर इस अभियान को बढ़ चढ़कर सफल बनाएं।

सादर,

4/11/2024

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं के निदेशक / एककों के प्रमुख